



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-317/2022

दिनांक- 24-सितम्बर-2022

## प्रेस विज्ञप्ति

### थाना- तरवा

#### लड़की को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)**– थाना तरवां क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनांक 15.07.022 को समय लगभग 10 बजे रात में वादी की पुत्री को शिवकुमार पुत्र त्रिलोकी राजभर अपने साथ बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 192/22 धारा 363, 366 IPC पंजीकृत कराया था।

**2. गिरफ्तारी की विवरण-** दिनांक- 24.09.22 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त शिवकुमार राजभर पुत्र त्रिलोकी राजभर निवासीगण मोकलपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को शुकुलपुरा मोड़ से समय करीब 09.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया, अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 192/22 धारा 363, 366 IPC थाना तरवा आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार अभियुक्त-** 1. शिवकुमार राजभर पुत्र त्रिलोकी राजभर सा0 मोकलपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** SO श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह हे0का0 रविन्द्र यादव व महिला आरक्षी रिंकी सिंह थाना तरवां आजमगढ़।

### थाना- महाराजगंज

#### हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

**1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)**– दिनांक- 23.09.22 श्री सरजू यादव S/O भानू यादव ग्राम शिवपुर कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि विपक्षियों द्वारा पेड़ काटने के विवाद को लेकर वादी के लड़के शम्भू यादव को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की नियत से फावड़े से सर पर मार दिये जिससे सर फट गया व बीच-बचाव करने वादी की लड़की व पत्नी गयी तो उन्हे भी मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 363/22 धारा 307, 323, 504, 506 IPC बनाम 1.केशव यादव S/O रामफेर यादव आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया।

**2. गिरफ्तारी की विवरण-** दिनांक- 24.09.22 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह का0 सुनील कुमार का0 कलामुद्दीन अंसारी के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन से मु0अ0सं0 363/22 धारा 307/323/504/506 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ में नामजद अभियुक्तगण 1.केशव यादव S/O रामफेर यादव 2.विजयी यादव उर्फ रामप्रकाश यादव पुत्रगण केशव यादव निवासीगण शिवपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ को मुखबीर की सूचना पर सरदहा बाजार से समय करीब 09.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया, गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 363/2022 धारा 307/323/504/506 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** 1.केशव यादव S/O रामफेर यादव 2.विजयी यादव उर्फ रामप्रकाश यादव पुत्रगण केशव यादव निवासीगण शिवपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़।

**बरामदगी-** एक अदद फावड़ा व एक अदद डण्डा।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** SO श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह का0 सुनील कुमार का0 कलामुद्दीन अंसारी।

### थाना कोतवाली

#### अवैध तमन्चा व 2 कारतूस (एक जिन्दा व एक मिस फायर ) 315 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 23.9.22 को उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराहियान द्वारा ठण्डी सड़क बंधा पास चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़कर पछताछ किया गया तो उसने अपना नाम अमित सोनकर पुत्र जिउत सोनकर निवासी खटिकटोला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ तथा तलाशी से उसके पास 1 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद मिस कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 20.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु.अ.स. 469/22 धारा 3/ 25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 123/19 धारा 307,324,323,504,506 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण** -अमित सोनकर पुत्र जिउत सोनकर निवासी खटिकटोला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

**बरामदगी का विवरण** – 1 अदद तमन्चा 315 बोर व 2 कारतूस (एक जिन्दा व एक मिस फायर ) 315 बोर

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण** –

1.उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया चौकी प्रभारी रोडवेज मय हमराह थाना कोतवाली नगर आजमगढ़।

## प्रेस विज्ञप्ति

### थाना सिधारी

शराब तस्कर अभियुक्त चन्दन यादव द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से बनवाये गये पक्के मकान (कुल सम्पति जिसका वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 80 लाख रुपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क

अभियुक्त चन्दन यादव पुत्र स्व० हरिराम यादव निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ अपने सहयोगियों के साथ अवैध/अपमिश्रित शराब के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त उपरोक्त चन्दन यादव एवं इसके सहयोगियों से भारी मात्रा में अवैध शराब एवं उपकरणों की बरामदगी होने पर मु०अ०सं०-94/22 धारा 272/419/420/467/468/471 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम एवं 63 कापीराइट एक्ट में अपराध पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त की गतिविधियों की सतत निगरानी हेतु एच०एस० 11बी खोला गया है।

मु०अ०सं०- 191/2022 धारा (1) गैंग्स्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से अपनी मां श्रीमती राजों देवी पत्नी स्व० हरिराम यादव के नाम से ग्राम जाफरपुर, परगना निजामाबाद, तहसील सदर के गाटा सं०-159 रकबा 340 एयर में से 113.4 वर्गमीटर का भूखण्ड क्रय किया गया है, जिसपर 01 मंजिला पक्के मकान का निर्माण कराया गया है।

उपरोक्त कुल सम्पति का सर्केल रेट कीमत- 32,60,811/-रु एवं वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 80 लाख रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 31.08.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक 24.09.2022 को तहसीलदार सदर व प्रभारी निरीक्षक सिधारी मय पुलिस फोर्स द्वारा उक्त सम्पति को नियमानुसार जब्त किया गया।